

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.7.24	पत्रावली पेश, क्लीक करी-गैट 39/ राजा. के मीटिंग की फॉल रकॉर्ड रिपोर्ट पेश। नवीन करी जाती है। काम दिनांक अक्टूबर 22-8-24 को पेश हो गया	
22.8.24 22	पत्रावली पेश, क्लीक अक्टूबर 22/ अदालत का रिपोर्ट अपील पं. 48/24 के साथ लगाया है। काम बहाल दिनांक 17.10.24 को पेश हो गया	
16.10.25	<p>पत्रावली पेश। अपील अपीलेंट की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 49/2024


- 1 भीवाराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 64 साल
  - 2 मालीराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 61 साल
  - 3 बनवारी पुत्र स्व. छाजुराम आयु 55 साल
  - 4 धूझाराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 51 साल
  - 5 मन्नी देवी पत्नी स्व. छाजुराम आयु 85 साल
- समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम



- 1 सुरजमल पुत्र स्व. कजोड़मल (मृतक के बजाय)
  - 1/1 फूली देवी पत्नी स्व. सुरजमल
  - 1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. सुरजमल
  - 1/3 किशनलाल पुत्र स्व. सुरजमल
  - 1/4 नान्छी देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/5 सरजू देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/6 सुमित्रा देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/7 बिदामी देवी पुत्र स्व. सुरजमल
  - 2 सुवालाल पुत्र श्री कजोड़
  - 3 श्रवण पुत्र श्री कजोड़
  - 4 विमला देवी पत्नी जगदीश पुत्रवधु कजोड़
  - 5 मंजु देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़
  - 6 हंसा देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़
  - 7 ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूराम
- समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज.।
- 8 पिंकी पुत्री गोदी

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर

9 रितू पुत्री गोदी

10 सरिता पुत्री गोदी

11 कोमल पुत्री गोदी

समस्त जाति जाट निवासीगण खेरा लाडखानी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज.।

12 पतासी पत्नी रूघा

13 शिंभु पुत्र रूघा

14 महेश पुत्र रूघा

15 मुकेश पुत्र रूघा

16 श्रवणी देवी पुत्री रूघा

17 गिरधारी पुत्र साधुराम

18 ग्यारसा पुत्र साधुराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज.।

19 पटवारी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

20 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

21 नायब तहसीलदार अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर जिला सीकर।




रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध प्रारंभिक डिक्री दिनांक 05.05.2022  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) श्रीमाधोपुर  
जिला सीकर प्रकरण संख्या 95/2019 जीसीएमएस नं.  
2023/153 बउनवानी दावा भींवाराम आदि बनाम सुरजमल  
आदि दावा बाबत बंटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53  
व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 48/2024

1 भींवाराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 64 साल

  
मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर


- 2 मालीराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 61 साल
  - 3 बनवारी पुत्र स्व. छाजुराम आयु 55 साल
  - 4 धूडाराम पुत्र स्व. छाजुराम आयु 51 साल
  - 5 मन्नी देवी पत्नी स्व. छाजुराम आयु 85 साल
- समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।



अपीलांटस

बनाम

- 1 सुरजमल पुत्र स्व. कजोड़मल (मृतक के बजाय)
  - 1/1 फूली देवी पत्नी स्व. सुरजमल
  - 1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. सुरजमल
  - 1/3 किशनलाल पुत्र स्व. सुरजमल
  - 1/4 नान्छी देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/5 सरजू देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/6 सुमित्रा देवी पुत्री स्व. सुरजमल
  - 1/7 बिदामी देवी पुत्र स्व. सुरजमल
  - 2 सुवालाल पुत्र श्री कजोड़
  - 3 श्रवण पुत्र श्री कजोड़
  - 4 विमला देवी पत्नी जगदीश पुत्रवधु कजोड़
  - 5 मंजु देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़
  - 6 हंसा देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़
  - 7 ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूराम
- समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज.।
- 8 पिंकी पुत्री गोदी
  - 9 रितू पुत्री गोदी
  - 10 सरिता पुत्री गोदी
  - 11 कोमल पुत्री गोदी

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर

समस्त जाति जाट निवासीगण खेरा लाडखानी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज.।

- 12 पतासी पत्नी रूघा
- 13 शिंभु पुत्र रूघा
- 14 महेश पुत्र रूघा
- 15 मुकेश पुत्र रूघा
- 16 श्रवणी देवी पुत्री रूघा
- 17 गिरधारी पुत्र साधुराम
- 18 ग्यारसा पुत्र साधुराम



समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज.।


- 19 पटवारी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
- 20 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 21 नायब तहसीलदार अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर  
जिला सीकर प्रकरण संख्या 95/2019 जीसीएमएस  
नम्बर 2023/153 बउनवानी दावा भींवाराम आदि बनाम  
सुरजमल आदि दावा बाबत बंटवारा एवं निषेधाज्ञा अ.  
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

  
मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी  
साकर



—निर्णय—

दिनांक:- 16/6/24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 95/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2022, 05.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 689, 690, 691, 692 वाके ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 49/2024 धारा 5 व अपील संख्या 49/2024 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री अपीलांट की वैध व विधिक आपत्तियों को नजर अंदाज करते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत के अभाव में एवं माननीय राजस्व मण्डल के पूर्व में पारित निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं पारित निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल (राज.) अजमेर द्वारा अपील/डिक्री/टी.ए/7516 व 7520/2018/सीकर बउनवानी भीवाराम आदि बनाम सुरजमल आदि में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 को पारित किया था जिसमें विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2017 एवं 22.10.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वह विभाजन के नियत 18 से 21 के नियमानुसार पालना करते हुए वृहद् पीठ द्वारा पारित निर्णय 201 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभयपक्ष को सूचना

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर




देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवा उभयपक्ष की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम डिक्री विधि सम्मत निर्णय पारित करें।' उक्त निर्देश के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री के संदर्भ में विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की मौजूदगी में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नहीं बनाया गया और न ही अपीलान्ट के एतराजों को रिकार्ड पर लिया गया बल्कि पूर्व के अनुसार रेस्पोजेन्ट के प्रभाव व दबाव में आकर तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त महत्वपूर्ण उपयोग व उपभोग की भूमि जो मुख्य सड़क पर लगती भूमि खसरा नम्बर 691 रकबा 6.57 हैक्टेयर जिसकी 1/4 हिस्से की भूमि अपीलान्ट की एवं 1/4 हिस्से की भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 17 व 18 एवं शेष 1/2 हिस्से की भूमि अन्य रेस्पोजेन्ट के हक हिस्से की एवं कब्जे काश्त की चली आई है जिसको संपूर्ण को अन्य रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 16 की दर्शित करते हुए विधि विरुद्ध एवं पारित निर्देशों के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया एवं अपीलान्ट को उक्त भूमि के अंतिम छोर पर भूमि बंटवारे में होना गलत रूप से दर्शित किया है जो कि पारित निर्देशों एवं मौके एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से पारित निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में अविलंब लिखित आपत्ति पेश कर दिये जाने के बाद विचारण न्यायालय ने उक्त आपत्तियों पर सुनवाई करने एवं आपत्तियों के निर्णय हेतु दिनांक 05.02.2024 को नियत की गई थी ओर उसी दिन अपीलान्ट की आपत्तियों को बिना गुणावगुण पर निस्तारण किये उक्त प्रकरण के चुनौतीग्रस्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित करते हुए प्रकरण की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि वादग्रस्त भूमि के मौके एवं कायम कब्जे काश्त के प्रतिकूल है ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं पारित निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध सारवान आपत्तियां एवं राजस्व रिकार्ड एवं माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिपादित सिद्धान्त एवं निर्देशों को नजर अन्दाजल करते हुए विधि प्रक्रिया एवं प्रतिकूल तरीका अपनाकर निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी तरह से न्यायसंगत एवं विधि सम्मत नहीं है ऐसी स्थिति में भी पारित निर्णय व डिक्री किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है बल्कि

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर



अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील संख्या 49/2024 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रदत्त आदेशों की पालना में वादपत्र के समस्त पक्षकारों को जरिए पत्रांक 971-72/भूअ./22 दिनांक 12.05.2022 व जरिये पत्रांक 973 से 996/भूअ./22 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम अजमेरी के भूमि खसरा नम्बर 689, 690, 691, 692 कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टेयर के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 23.05.2022 को मौके पर उपस्थित मिलने बाबत पक्षकारान व आपत्ति कर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। जिनकी तामील तहसील कार्यालय के तामील कुनिन्दा के द्वारा संबंधित पक्षकारों को करवाए जाना प्रकट होता है। जिसमें वरवक्त मौका निरीक्षण में पक्षकारान मे से कुल 15-20 पक्षकारों के मौके पर उपस्थित मिलने तथा उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। वही आपत्तिकर्ता वादीगण मालीराम, भींवारा, बनवारीलाल, धूड़ाराम पुत्रगण छाजूराम, प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 गिरधारी, ग्यारसा पुत्रगण साधुराम के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ़-सुनकर व समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जाना प्रकट होता है। आपत्तिकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिए एवं बिना उनके हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव कर करवाए मनमर्जी का प्रस्ताव विपक्षीगणों से बसाज कर तैयार करते हुए वादग्रस्त भूमियों के दोनों तरफ पूर्वी एवं पश्चिमी तरफ सड़क रास्ता का सही विभाजन नहीं करना तथा खसरा नम्बर 689 कुआ को गलत जगह पर दिखाए जाने की आपत्ति उठाई गई है। जिस पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा खातेदारान पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण का मौका निरीक्षण किए जाने से पूर्व मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस दिया जाना तथा वरवक्त मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित रहने वाले पक्षकारान व विभाजन प्रस्ताव को पढ़ समझने के उपरांत उन पर


  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर



सहमति बतौर हस्ताक्षर नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों को सूची बनाकर विभाजन प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया गया है। जहां तक भूमि खसरा नम्बर 689 में कुआं को गलत जगह पर दिखाए जाने का प्रश्न है वह कुआं एक अचल संपत्ति/भूमि के रूप में होता है, जिसको राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सर्वे सीट नक्शा में दर्शितानुसार ही मौके पर दिखाया जाना प्रकट होता है भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। यदि विभाजन प्रस्ताव के द्वारा किसी भी पक्षकारान को तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव से किसी भी प्रकार की आपत्ति या एतराज होता तो वरवक्त मौका निरीक्षण भूमिधारी तहसीलदार को अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए संशोधित विभाजन प्रस्ताव के लिए निवेदन कर उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाए जा सकते थे परन्तु पक्षकारान आपत्तिकताओं द्वारा ऐसा कोई तथ्य या आपत्ति भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष नहीं उठाया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। वरवक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (दुकान प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/2019/145-149 दिनांक 10.01.2019 बहक सुरजमल पुत्र कजोड़ की प्रति प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होना कथन किया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।


जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.05.2022 पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन पर सहमति व्यक्त की गई है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। फलत अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 49/2024 खारिज की जाती है।

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सांकर



जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील/डिक्री/ टी.ए/7516 व 7520/2018/सीकर बउनवानी भीवाराम आदि बनाम सुरजमल आदि में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 को पारित किया था जिसमें विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2017 एवं 22.10.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वह विभाजन के नियत 18 से 21 के नियमानुसार पालना करते हुए वृहद् पीठ द्वारा पारित निर्णय 201 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभयपक्ष को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवा उभयपक्ष की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम डिक्री विधि सम्मत निर्णय पारित करें।' उक्त निर्देश के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री के संदर्भ में विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की मौजूदगी में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नहीं बनाया गया और न ही अपीलान्ट के एतराजों को रिकार्ड पर लिया गया बल्कि पूर्व के अनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त महत्वपूर्ण उपयोग व उपभोग की भूमि जो मुख्य सड़क पर लगती भूमि खसरा नम्बर 691 रकबा 6.57 हैक्टेयर जिसकी 1/4 हिस्से की भूमि अपीलान्ट की एवं 1/4 हिस्से की भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 17 व 18 एवं शेष 1/2 हिस्से की भूमि अन्य रेस्पोजेन्ट के हक हिस्से की एवं कब्जे काश्त की चली आई है जिसको संपूर्ण को अन्य रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 16 की दर्शित करते हुए पारित निर्देशों एवं मौके एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में अविलंब लिखित आपत्ति पेश कर दिये जाने के बाद विचारण न्यायालय ने उक्त आपत्तियों पर सुनवाई करने एवं आपत्तियों के निर्णय हेतु दिनांक 05.02.2024 को नियत की गई थी ओर उसी दिन अपीलान्ट की आपत्तियों को बिना गुणावगुण पर निस्तारण किये उक्त प्रकरण के चुनौतीग्रस्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित करते हुए प्रकरण की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध सारवान आपत्तियां एवं राजस्व रिकार्ड एवं माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिपादित सिद्धान्त एवं निर्देशों को नजर अन्दाज करते हुए विधिक प्रक्रिया

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर



की पालना किए बिना निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी तरह से न्यायसंगत एवं विधि सम्मत नहीं है ऐसी स्थिति में भी पारित निर्णय व डिक्री किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट संख्या 48/2024 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पञ्जाब राजस्व अपीली अधिकारी,  
 सीकर